बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–4 / आ0 वि0(संधा0)–01–03 / 2017– —/ 82

(15)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी
जमुई।

पटना, दिनांक– 29/03/18

विषय: वित्तीय वर्ष– 2017–18 में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय बामदह, जमुई में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में 7,85,105/–(सात लाख पच्चासी हजार एक सौ पाँच रुपये) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 के लिए अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 15 अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थाई पदो के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में विभागीय आवंटनादेश संख्या–19, दिनांक 06.06.2017 द्वारा पूरे वर्ष के लिए राशि आवंटित की गई है।

2–जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक– 872 दिनांक 26.12.2017 द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय बामदह, जमुई में सृजित स्थायी पदों के लिए अतिरिक्त आवंटन की मांग के आलोक में उपलब्ध बजट उपबंध (वेतन एवं अन्य भत्ते मद में) के अनुसार 7,85,105/–(सात लाख पच्चासी हजार एक सौ पाँच रुपये) की राशि पूरे वर्ष के लिए पुनरावंटित की जाती है।

3–कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय व्यय शीर्ष माँग सं0–44–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–277– शिक्षा– 0004 आवासीय विद्यालय –कूट सं0–0004.01.01–वेतन, 0004.01.04–मकान किराया भत्ता, 0004.01.06 चिकित्सा भत्ता, विपत्र कोड सं0–44–2225022770004 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5–वित्त विभाग के पत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–एम0–04–05/–98–2607वि(2) दिनांक–20.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जाएगा।

6–जिला विद्यालयों से वित्तीय वर्ष–2016–17 में आवंटित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा, उन्हीं विद्यालयों के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्रों से संतुष्ट होने के पश्चात् संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे। साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भेजा जाएगा।

7–संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार व्यय के लेखा साथ करेंगे।

P.T.O.

184

8–आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

10–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 27/3/18
निदेशक।

ज्ञापांकः–4/आ0 वि0(संधा0)–01–03/2017– 182 पटना, दिनांक– 29/3/18

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जमुई /सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/उप निदेशक कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना/ आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना/ बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक। 29/3/18